स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज

(जिला राजस्व प्रशाखा)

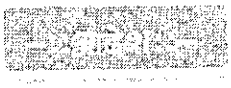

प्रस्तुत मामला श्री सुभाष चन्द्र देव, राजस्व कर्मचारी, ठाकुरगंज अंचल कार्यालय, समाहरणालय, किशनगंज (अब सेवा निवृत्त) द्वारा अपने पदस्थापन काल में चाय की खेती की लीज बन्दोबस्ती, नियम के विरूद्ध करने का आरोप प्रमाणित होने के पश्चात् उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के अन्तर्गत दंड अधिरोपित करने से संबंधित है।

संक्षिप्त विवरण ::

श्री सुभाष चन्द्र देव, सेवा निवृत्त, राजस्व कर्मचारी, ठाकुरगंज अंचल समाहरणालय, किशनगंज द्वारा अपने पदस्थापन काल में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1697/रा0, दिनांक–22.11.1995 को आधार बनाकर औधोगिक इकाई की स्थापना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर चाय की खेती के लिए आवेदकों के साथ सरकारी भूमि की अस्थायी लीज बन्दोबस्ती के लिए प्रस्ताव अपनी अनुशंसा के साथ समर्पित किया गया। चाय की खेती हेतु एक हीं परिवार के कई सदस्यों के साथ सरकारी भूमि की अस्थाई लीज बन्दोबस्ती व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्येश्य से नियम के विरूद्ध अनुशंसा करने के आरोप में उनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर कार्यालय आदेश ज्ञापांक–597/जि0रा0, दिनांक–03.07.2006 के द्वारा विभागीय कार्यवाही आरंभ किया गया।

आरोप ::

श्री सुभाष चन्द्र देव, सेवा निवृत्त राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप निम्नलिखित हैं :–

आरोप संख्या 01 :– राजस्व कर्मचारी, ठाकुरगंज के पद पर रहते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1697/रा., दिनांक–22.11.1995 के आधार पर चाय की खेती के लिए आवेदकों के साथ सरकारी भूमि की अस्थाई लीज बन्दोबस्ती के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव एवं अनुशंसा समर्पित किया, जिसके लिए वे सक्षम नहीं हैं। उनका यह कार्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के दिशा–निर्देश के प्रतिकूल है।

आरोप संख्या 02 :–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0–1697/रा., दिनांक–22.11.1995 के आलोक में औधोगिक इकाई की स्थापना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर पॉच एकड़ तक भूमि आवंटित किया जाना था। उन्होंने व्यक्ति विशेष को लाभ पहूँचाने के उद्देश्य से सरकार के इस परिपत्र की गलत व्याख्या कर चाय की खेती के लिए लीज बन्दोबस्त का प्रस्ताव दिया है, जो नियम के विरूद्ध है।

आरोप संख्या 03 :– एक ही परिवार के कई व्यक्तियों के साथ आपके द्वारा सरकारी भूमि की लीज बन्दोवस्ती हेतु अनुशंसा की गई है, जो सरकारी निदेशों एवं नियमों के प्रतिकूल है।

श्री देव द्वारा सरकारी भूमि की अस्थायी बन्दोवस्ती हेतु समर्पित प्रस्ताव एवं अनुशंसा का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0	अभिलेख संख्या	आवेदक का नाम/ पता	मौजा/ थाना	खाता	खेसरा	रकवा	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7	8
01	01/99-00	श्री विनय कुमार सिंह, पिता–श्री अरिरूद्ध सिंह, सा0–बेसरबाटी	बेसरबाटी/ 02	383	2909	1.10 एकड़	

02	02/99-00	श्रीमती कुसुम तोषनीवाल पति–श्री ललित कुमार तोषनीवाल, सा0–पुरबपाली, किशनगंज	कुकुरबाघी/ 03	468	1899/1	5.00 एकड़	परं.
03	03/99-00	श्री ललित कुमार तोषनीवाल, पिता–पुरण चन्द्र तोषनीवाल, पुरबपाली, किशनगंज	कुकुरबाघी/ 03	468	1901/1	5.00 एकड़	बालुबूर्ज
04	04/99-00	श्री पुरण चन्द्र तोषनीवाल, पिता–लादुराम तोषनीवाल, सा0–पुरबपाली, किशनगंज	कुकुरबाघी/ 03	468	1901/2	5.00 एकड़	बालुबूर्ज
05	05/99-00	श्री विष्णु गोपाल तोषनीवाल, पिता–नेमी चन्द्र तोषनीवाल, सा0 पुरबपाली, किशनगंज	कुकुरबाघी/ 03	468	1901/3	5.00 एकड़	बालुबूर्ज
06	06/99-00	श्री नेमी चन्द्र तोषनीवाल, पिता–लादुराम तोषनीवाल, सा0– पुरब पाली, किशनगंज	कुकुरबाघी/ 03	468	1901/4	5.00 एकड़	बालुबूर्ज
07	07/99-00	श्री दिलीप कुमार, पिता–रामानन्द सिंह, सा0–ठाकुरगंज	कुकुरबाघी/ 03	468	1901/5	5.00 एकड़	बालुबूर्ज
08	08/99-00	श्री प्रदीप तोषनीवाल, पिता–पुरण चन्द्र, तोषनीवाल, सा0–पुरबपाली, किशनगंज	कुकुरबाघी/ 03	468	1901/6	5.00 एकड़	बालुबूर्ज
09	09/99-00	श्रीमती कबिता तोषनीवाल, पिता श्री राजेन्द्र तोषनीवाल, सा0–पुरबपाली, किशनगंज	कुकुरबाघी/ 03	468	1901/7	5.00 एकड़	बालुबूर्ज
10	10/99-00	श्री सुरेन्द्र तोषनीवाल, पिता–युगल किशोर तोषनीवाल, सा0–पुरबपाली, किशनगंज	कुकुरबाघी/ 03	468	1901/8	5.00 एकड़	बालुबूर्ज
11	11/99-00	अजय कुमार, पिता–रामानन्द सिंह, सा0–ठाकुरगंज	कुकुरबाघी/ 03	468	1901/9	5.00 एकड़	बालुबूर्ज
12	12/99-00	श्रीमती सरला देवी तोषनीवाल, पति–श्री युगल किशोर तोषनीवाल, सा0– पुरबपाली, किशनगंज	कुकुरबाघी/ 03	468	1901/10	5.00 एकड़	बालुबूर्ज
13	13/99-00	श्री युगल किशोर तोषनीवाल, पिता–श्री भवरजी तोषनीवाल, सा0–पुरबपाली, किशनगंज	कुकुरबाघी/ 03	468	1901/11	5.00 एकड़	बालुबूर्ज
14	14/99-00	श्रीमती किरण लता तोषनीवाल, पति–श्री पुरण चन्द्र तोषनीवाल, सा0–पुरबपाली, किशनगंज	कुकुरबाघी/ 03	468	1899	5.00 एकड़	बालुबूर्ज
15	15/99-00	श्रीमती अनुराधा तोषनीवाल, पति श्री नेमी चन्द्र तोषनीवाल, सा0–पुरबपाली, किशनगंज	कुकुरबाघी/ 03	468	1899/3	5.00 एकड़	बालुबूर्ज
16	16/99-00	श्री प्रमोद कुमार, पिता–श्री अनिरूद्ध सिंह, सा0–ठाकुरगंज	कुकुरबाघी/ 03	468	1899/4	5.00 एकड़	बालुबूर्ज
17	17/99-00	श्री पप्पु सिंह, पिता–श्री उमाकान्त सिंह, सा0–ठाकुरगंज	कुकुरबाघी/ 03	468	1899/5	5.00 एकड़	बालुबूर्ज

संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति ::

श्री देव, राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिये इस कार्यालय का आदेश ज्ञापांक–597/जि0रा0, दिनांक–03.07.2006 के द्वारा श्री प्रभात कुमार महथा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज को संचालन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज को उपस्थापन पदाधिकारी, नियुक्त किया गया। श्री महता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण श्री देवेन्द्र कुमार सविता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः उनका स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–784/जि0रा,

दिनांक–16.08.2010 के द्वारा श्री कमर आलम, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज विभागीय संचालन पदाधिकारी नियुक्त किये गये। श्री कमर आलम, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता–सह संचालन पदाधिकारी, किशनगंज के स्तर पर विभागीय कार्यवाही का संचालन पूर्ण नहीं होने की स्थिति में विभागीय कार्यवाही का संचालन पूर्ण करने हेतु अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, किशनगंज को दायित्व सौपा गया। उन्होंने विभागीय कार्यवाही का संचालन पूर्ण कर अपने पत्रांक–100/जि0आ0, दिनांक–27.01.2014 के द्वारा संचालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया।

संचालन पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदन एवं मन्तव्य :–

श्री सुभाष चन्द्र देव, से.नि., राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के परिप्रेक्ष्य में संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही का संचालनोपरान्त समर्पित जॉच प्रतिवेदन एवं उनका मन्तव्य निम्नरूपेण है :–

आरोप संख्या	आरोप	आरोपी का स्पष्टीकरण	संचालन प्रतिवेदन
1	2	3	4
01	राजस्व कर्मचारी, ठाकुरगंज के पद पर रहते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1697/रा., दिनांक–22.11.1995 को आधार पर चाय की खेती के लिए आवेदकों के साथ सरकारी भूमि की अस्थाई लीज बन्दोवस्ती के लिए अपने प्रस्ताव अपनी अनुशंसा के साथ समर्पित किया है, जिसके लिए आप सक्षम नहीं हैं। आपका यह कार्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के दिशा–निर्देश के प्रतिकूल है।	संबंधित लीज बन्दोवस्ती अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि मेरे नियंत्री पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज द्वारा लीज बन्दोवस्ती हेतु प्राप्त आवेदन पत्र उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई, जिसके साथ पत्रांक–1697/रा0, दिनांक–22.11.95 की प्रति संलग्न थी और न मुझे उक्त पत्र में निहित निर्देश की जानकरी दी गई। फलतः मेरे द्वारा लीज बन्दोवस्ती के भूमि की स्थिति प्रतिवेदित की गई मेरे द्वारा लीज बन्दोवस्ती के लिए कोई अनुशंसा नहीं की गई है। पुनः वरीय वरीय पदाधिकारी के मौखिक रूप से दिये गये निर्देश के आलोक में पुनः अस्थाई लीज बन्दोवस्ती की अनुशंसा मेरे द्वारा सन्लहित की गई है जिसका अवलोकन प्रतिवेदन से किया जा सकता है। विभागीय परिपत्र के आलोक में प्रस्ताव पर उचित निर्णय लेने की शक्ति सक्षम पदाधिकारी को प्रदत्त है अस्तु संबंधित मामले के सक्षम पदाधिकारी के निर्णय के उपरान्त विभाग द्वारा सक्षम पदाधिकारी के निर्णय को नहीं किया गया जो विभागीय पत्र 3/रा., दिनांक– 07.01.02 एवं समाहर्त्ता, किशनगंज का आदेश दिनांक–20.04.13 से स्वतः प्रमाणित है। इस प्रकार गठित आरोप सही नहीं है।	संबंधित अभिलेख में संलग्न सभी कागजात एवं हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व कर्मचारी श्री सुभाष चन्द्र देव को विभागीय पत्र संख्या–1697/रा0, दिनांक–22.11.1995 की पूरी जानकारी थी जिस आधार पर हल्का कर्मचारी श्री सुभाष चन्द्र देव द्वारा लीज बन्दोवस्ती का प्रस्ताव समर्पित किया, जिसमें हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदकों के साथ लीज में देने हेतु अनुशंसा की जाती है। इससे स्पष्ट है कि हल्का कर्मचारी श्री सुभाष चन्द्र देव को मामले की पूर्णतः जानकारी थी उनके अनुशंसा के आधार पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारी श्री सुभाष चन्द्र देव का स्पष्टीकरण मान्य नहीं है एवं गठित आरोप की पुष्टि की जाती है।
02	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1697/रा., दिनांक–22.11.1995 के आलोक में औधोगिक इकाई की स्थापना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर पौन एकड़ तक भूमि आवंटित किया जाना था। आपने व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए सरकार के इस परिपत्र की गलत व्याख्या कर चाय की खेती के लिए लीज बन्दोबस्त का प्रस्ताव दिया है, जो नियम के विरूद्ध है।	प्रति उत्तर में मेरे द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विभागीय पत्रांक–1697/रा0, दिनांक–22.11.95 की प्रति अथवा उसमें निहित निर्देश की जानकारी नहीं दी गई थी, सिर्फ स्थानीय जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश था जिसका अनुपालन मैंने अपने प्रतिवेदन में किया है। उक्त वर्णित विभागीय पत्र में निहित निर्देश पर अग्रेतर निर्णय लेने हेतु वरीय पदाधिकारी ही सक्षम है और तद्नुसार वरीय पदाधिकारी द्वारा ही निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–1697/रा0, दिनांक–22.11.1995 में निहित निर्देश के आलोक में ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका में Status Quo संबंधी आदेश भी पारित है जो (Oath No. 25776, Dated 22.04.2004 जिला कार्यालय में संधारित है) दायर किया गया कि कंडिका 06 में उल्लेख है कि " That it is humbly submitted that these respondents are bond to follow and abide by the circular instuctionand	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के पत्रांक–1697/रा0, दिनांक–22.11.1995 के आलोक में औधोगिक इकाई की स्थापना के लिए निर्धारित दर पर भूमि आवंटित किया जाना था न कि चाय की खेती के लिए इस संबंध में हल्का कर्मचारी पूर्ण मामले से अवगत थे फिर भी उनके द्वारा लीज बन्दोवस्ती हेतु अनुशंसा की गई है।

		direction of the Government, which have been issued in the larger interest of the people." स्पष्टतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना के परिपत्र सं0–1697/रा0, दिनांक–22.11.1995 के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है न कि मेरे द्वारा इस संबंध मेंयह भी उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा अपने परिपत्र संख्या–2306/रा0, दिनांक– 30.10.2001 द्वारा पूर्व निर्गत परिपत्र संख्या–1697/रा0, दिनांक–22.11.1995 को निरस्त किया गया है। इससे स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि पूर्व विभागीय परिपत्र संख्या–1697/रा0, दिनांक–22.11.1995 के दिशा निर्देश के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा अपने प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग किया गया है, न कि मेरे द्वारा जो प्रतिशपथ पत्र की कंडिका 4(a) से भी स्वतः प्रमाणित है। मेरे द्वारा किसी भी स्तर पर उक्त परिपत्र की गलत व्याख्या नहीं की गई है, चूँकि इसके लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। यह भी कहना है कि संधारित बन्दोवस्ती अभिलेख के साथ संलग्न पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक/आवेदिका के द्वारा आवेदन सीधे समाहर्त्ता, किशनगंज को समर्पित है, जो समाहर्त्ता, किशनगंज के आदेशानुसार अपर समाहर्त्ता से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज के द्वारा उक्त आवेद पत्र स्थलीय जाँच मुझे प्राप्त हुआ था।	
03	एक ही परिवार के कई व्यक्तियों के साथ आपके द्वारा सरकारी भूमि की लीज बन्दोवस्ती हेतु अनुशंसा की गई है, जो सरकारी निदेशों एवं नियमों के प्रतिकूल है।	प्रश्नगत् मामले में संलग्न सूची जो मुझे आरोप पत्र के साथ साक्ष्य स्वरूप उपलब्ध कराया गया है, से स्वतः प्रमाणित है कि सभी आवेदक एक परिवार के नहीं है, बल्कि सभी अलग–अलग व्यक्ति हैं और जो अलग–अलग परिवार के हैं। संबंधित मामले में मेरे द्वारा स्थलीय जाँच प्रतिवेदन नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में एक ही परिवार का न होकर अलग–अलग सदस्यों के बीच भूमि की बन्दोवस्ती की गई है कि आवेदन में वर्णित भूमि जो मेरे हल्का क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता था, का स्थलीय जाँच प्रतिवेदन मेरे द्वारा समर्पित किया गया है। जिसमें कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। इस तरह मेरे उपर लगाये गये आरोप गलत है। अतः अरोप से मुझे पूर्णतः मुक्त करने की कृपा की जाय।	श्री सुभाष चन्द्र देव, तत्कालीन कर्मचारी द्वारा युगल किशोर तोषनीवाल एवं अन्य कोई आवेदक एक ही परिवार से संबंधित है जिसकी जानकारी श्री सुभाष चन्द्र देव को रहने के बावजूद अलग–अलग नाम से लीज बन्दोवस्त कर अनुशंसा की गई है। अतः राजस्व कर्मचारी श्री सुभाष चन्द्र देव का स्पष्टीकरण मान्य नहीं है तथा उनके गठित आरोप की पुष्टि की जाती है।

01. प्रथम आरोप के संबंध में उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारी श्री सुभाष चन्द्र देव को विभागीय पत्र संख्या–1697/रा0, दिनांक–22.11.1995 की पूरी जानकारी थी जिस आधार पर हल्का कर्मचारी श्री सुभाष चन्द्र देव द्वारा लीज बन्दोवस्ती का प्रस्ताव समर्पित किया। इस प्रकार प्राप्त मंतव्य के आलोक में आरोपी का कथन सत्य प्रतीत नहीं होता है और आरोप की संपुष्टि होती है कि बन्दोवस्ती में इनकी सहभागिता रही है।
02. दूसरे आरोप के क्रम में उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य के अनुसार गलत मनसा से आरोपी द्वारा बन्दोवस्ती हेतु अनुशंसा की गई है। चूँकि उक्त मंतव्य में अंकित है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना के पत्रांक–1697/रा0, दिनांक–22.11.1995 के आलोक में औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए निर्धारित दर पर भूमि आवंटित किया जाना था न कि चाय की खेती के लिए। इस संबंध में हल्का कर्मचारी पूर्ण मामले से अवगत थे। इस प्रकार आरोपी का कथन मान्य प्रतीत नहीं होता है।
03. तीसरे आरोप के संबंध में स्पष्ट है कि श्री सुभाष चन्द्र देव तत्कालीन कर्मचारी द्वारा युगल किशोर तोषनीवाल एवं अन्य कई आवेदक एक ही परिवार से संबंधित है जिसकी जानकारी श्री सुभाष चन्द्र देव को रहने के बावजूद अलग–अलग नाम से लीज बन्दोवस्त की अनुशंसा की गई है। इस प्रकार अंचल अधिकारी, के मंतव्य के अनुसार आरोपी का स्पष्टीकरण असत्य प्रतीत होता है आरै आरोप पुष्टि होती है कि गलत प्रतिवेदन देने के साथ लीज बन्दोवस्ती में ये भी संलिप्त रहे हैं।

विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर नैसर्गिक न्याय के तहत् श्री देव, सेवा निवृत्त राजस्व कर्मचारी से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग इस कार्यालय का ज्ञापांक–32 (मु0)/जि0रा0, दिनांक–26.06.2014 के द्वारा की गई। श्री देव, सेवा निवृत्त राजस्व कर्मचारी द्वारा दिनांक–31.07.2014 को अपना द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया जो समीक्षोपरान्त संतोषजनक नहीं पाया गया। फलस्वरूप उनके विरूद्ध नियम संगत दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

चूँकि श्री देव, राजस्व कर्मचारी, सेवा निवृत्त हो चुके हैं, अतएव इनपर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत् कोई दण्ड अधिरोपित नहीं हो सकता, फलतः प्रमाणित आरोपों के परिप्रेक्ष्य में श्री देव, सेवा निवृत्त राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (B) के तहत् दण्ड अधिरोपित करने का प्रस्ताव इस कार्यालय का पत्रांक–2119/जि0रा0, दिनांक–30.12.2015 के द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया। बिहार पेंशन नियमावली के उक्त नियम में यह प्रावधान है कि दोषी सेवा निवृत्त सरकारी कर्मी की पूरी पेंशन या उसका अंश रोक रखने अथवा वापस लेने जैसे दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, परन्तु इसके लिए राज्य सरकार का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

संयुक्त निदेशक, कृषि गणना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–511(नि0को0)/रा0, दिनांक–12.05.2016 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र देव, सेवा निवृत्त राजस्व कर्मचारी, ठाकुरगंज अंचल के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(B) तहत् सम्परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं पुनः उनके पत्रांक–नि0को0, किशनगंज–01/2014–1022/नि0को0/रा0, दिनांक–26.09.2016 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 43 (B) के तहत् श्री सुभाष चन्द्र देव, से.नि. राजस्व कर्मचारी, ठाकुरगंज अंचल, समाहरणालय, किशनगंज के पेंशन से **10 प्रतिशत** राशि कटौती करने का दण्ड संसूचित किया गया है, जिसपर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त है।

उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय स्वीकृति के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (B) के प्रावधान के तहत् श्री सुभाष चन्द्र देव, से.नि. राजस्व कर्मचारी, ठाकुरगंज अंचल, समाहरणालय, किशनगंज वर्तमान पता पिता–वैद्यनाथ देव, ग्राम+पो0– विहरा, जिला–सहरसा के पेंशन से **10 प्रतिशत** राशि कटौती करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

श्री सुभाष चन्द्र देव, सेवा निवृत्त राजस्व कर्मचारी से संबंधित पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :–

01. नाम	:– **श्री सुभाष चन्द्र देव**
02. पिता	:– **वैद्यनाथ देव**
03. पदनाम	:– **राजस्व कर्मचारी, (सेवा निवृत्त)**
04. जन्म तिथि	:– **16.10.1950**
05. नियुक्ति की तिथि	:– **09.02.1982**
06. वेतनमान	:– **PB-2-9300-34800+GP-4800**
07. सेवानिवृत्त की तिथि	:– **31.10.2010**
08. स्थाई पता	:– **ग्राम+पो0–विहरा, जिला–सहरसा**

जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक–2004.../जि0रा0, दिनांक....26\11\../2016

प्रतिलिपि :: श्री सुभाष चन्द्र देव, सेवा निवृत्त राजस्व कर्मचारी, ठाकुरगंज अंचल, समाहरणालय, किशनगंज, वर्तमान पता, ग्राम+पो0–विहरा, जिला–सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: सभी अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: आई0टी0 मैनेजर, किशनगंज को सूचनार्थ एवं किशनगंज जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: उप विकास आयुक्त, किशनगंज/ अपर समाहर्त्ता,किशनगंज/ अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज/ किशनगंज जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: सभी समाहर्त्ता, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: संयुक्त निदेशक, कृषि गणना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–नि0को0, 01/2014–1022 (नि0को0)/रा0, दिनांक–26.09.2016 के क्रम सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

26/11/16

जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।